न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी रतन लाल योगी आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या :10/2022

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय (द्वितीय) जोधपुर		कालूराम पुत्र श्री दुर्गाराम जाति-मेघवाल, निवासी रावनियाना तहसील पीपाड़ हाल डीडीपी नगर मधुबन, जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः –

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार शिवानी अस्थाना प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, द्वितीय जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री वसीम अकरम उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 06.08.2024

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय (द्वितीय) जोधपुर की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्री कालूराम पुत्र श्री दुर्गाराम जाति मेघवाल निवासी रावनियाना तहसील पीपाड़ हाल डीडीपी नगर, मधुबन जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक पाईप(इनलेट व आउटलेट) मय नोजल, रेगुलेटर, गैस की टंकी के ढक्कन (121 ढक्कन) व डिब्बा नोजल (16 नोजल) को राज्यसात करने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर, जोधपुर को पेश किया। श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा यह प्रकरण दिनांक 06.12.2022 को सुनवाई के लिए इस न्यायालय को प्रेषित किया गया जिसको दिनांक 13.12.2022 को दर्ज किया जाकर पक्षकारों को सुना गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र सा[illegible] विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27.10.2022 को भ[illegible] कर्मचारियों द्वारा रात्रि गश्त के दौरान डी.डी.पी.नगर मधुबन जोधपुर में रिद्धी सिद्धी ज्वैलर्स के पास गली [illegible]लूराम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:10:09 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

P.Ju.

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

विविध प्र. सं. 10/2022 अनवान सरकार जरिये प्रर्वतन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय (द्वितीय) जोधपुर बनाम कालूराम

श्री दुर्गाराम को अवैध गैस सिलेण्डर में रिफलिंग करते हुए पकड़ा, जिससे पूछताछ में उसने घरेलु गैस सिलेण्डर के एक किलो के 90 रूपये रेट से गैस भरना बताया। भगत की कोठी थाना के पुलिसकर्मियों द्वारा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक पाईप(इनलेट व आउटलेट) मय नोजल, रेगुलेटर, गैस की टंकी के ढक्कन (121 ढक्कन) व डिब्बा नोजल (16 नोजल) को जब्त किया गया। दिनांक 28.10.2022 को भगत की कोठी थाना की पुलिस की सूचना पर जिला रसद अधिकारी के मौखिक निर्देशानुसार प्रर्वतन अधिकारी व प्रर्वतन निरीक्षक ने भगत की कोठी थाना पहुंच कर जब्त वस्तुओं का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास पाये गये गैस सिलेण्डर व अन्य सामग्री का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर क्रमांक	टंकी का वजन	कुल वजन	गैस का वजन
1.	इण्डेन	799794	15.500 कि.ग्रा.	15.500 कि.ग्रा.	0.00
2.	एच.पी.	425734	16.200 कि.ग्रा.	16.200 कि.ग्रा.	0.00
3.	एच.पी.	4595819	15.600 कि.ग्रा.	26.300 कि.ग्रा.	10.700 कि.ग्रा.
गैस भरने का पाईप (इनलेट व आउटलेट) मय नोजल, रेगुलेटर, गैस की टंकी के ढक्कन (121 ढक्कन) व डिब्बा नोजल (16 नोजल)					

अप्रार्थी कालूराम पुत्र श्री दुर्गाराम द्वारा अवैध रिफलिंग कर अधिक दर पर लोगों को अवैध रूप से बेचा जाने पर उक्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक पाईप (इनलेट व आउटलेट) मय नोजल, रेगुलेटर, गैस की टंकी के ढक्कन (121 ढक्कन) व डिब्बा नोजल (16 नोजल) को जब्त सरकार किया जाकर श्री भैराराम पुत्र श्री मुकनलाल निवासी भगत की कोठी हाल हॉकर सुशील गैस एजेन्सी को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार मौके पर अप्रार्थी द्वारा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक पाईप (इनलेट व आउटलेट) मय नोजल, रेगुलेटर, गैस की टंकी के ढक्कन (121 ढक्कन) व डिब्बा नोजल (16 नोजल) से अवैध रिफलिंग कर अधिक दर पर लोगों को अवैध रूप से बेचान करने हुए पाये गया जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक पाईप (इनलेट व आउटलेट) मय नोजल, रेगुलेटर, गैस की टंकी के ढक्कन (121 ढक्कन) व डिब्बा नोजल (16 नोजल) को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

अप्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता लिखित जवाब पेश किया जिसमें बताया कि अप्रार्थी के घर से घरेलु गैस के 3 [illegible] 121 ढक्कन व 16 नोजल पाया जाना बताया गया जिसका उपयोग सिलेण्डर में [illegible] रूप से गैस रिफलिंग किये जाने संबंधी शक होने के आधार पर पुलिस थाना भगत की कोठी द्वारा सीज किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:10:09 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

गये। उक्त 3 घरेलु गैस सिलेण्डर में से दो गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के नाम से व एक सिलेण्डर उसकी पत्नि के नाम से है जो घरेलु उपयोग में काम में लेते है। उक्त वर्णित 121 ढक्कन एवं नोजल अप्रार्थी के घर में नहीं थे। अप्रार्थी एक दर्जी है जो सिलाई का कार्य करता है उसे गैस रिफलिंग का कार्य नहीं आता है न ही गैस रिफलिंग संबंधी कोई उपकरण अप्रार्थी के पास में है न ही उससे बरामद हुये है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र झूठी बरामदगी बताते हुए अप्रार्थी को झूठा फंसाया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर उक्त बरामदगीसुदा गैस के सिलेण्डरों को सुपुर्द किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी के विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार शिवानी अस्थाना प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौके पर अप्रार्थी द्वारा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक पाईप(इनलेट व आउटलेट) मय नोजल, रेगुलेटर, गैस की टंकी के ढक्कन (121 ढक्कन) व डिब्बा नोजल (16 नोजल) से अवैध रिफलिंग कर अधिक दर पर लोगों को अवैध रूप से बेचान करने हुए पाये गया जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जिसके कारण जब्त उक्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक पाईप(इनलेट व आउटलेट) मय नोजल, रेगुलेटर, गैस की टंकी के ढक्कन (121 ढक्कन) व डिब्बा नोजल (16 नोजल) को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री वसीम अकरम द्वारा अपनी बहस में अपने लिखित जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थी के घर से घरेलु गैस के 03 सिलेण्डर, 121 ढक्कन व 16 नोजल पाया जाना बताया गया जिसका उपयोग सिलेण्डर में अवैध रूप से गैस रिफलिंग किये जाने संबंधी शक होने के आधार पर पुलिस थाना भगत की कोठी द्वारा सीज किये गये। उक्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डर में से दो गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के नाम से व एक सिलेण्डर उसकी पत्नि के नाम से है जो घरेलु उपयोग में काम में लेते है। उक्त वर्णित 121 ढक्कन एवं नोजल अप्रार्थी के घर में नहीं थे। अप्रार्थी को गैस रिफलिंग का कार्य नहीं आता है ओर न ही गैस रिफलिंग संबंधी कोई उपकरण अप्रार्थी से बरामद हुये है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र झूठी बरामदगी बताते हुए अप्रार्थी को झूठा फंसाया गया है। अतः [illegible] घरेलु गैस सिलेण्डर को अप्रार्थी को सुपुर्दगी आदेश हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:10:08 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

हमने विभागीय पेरोकार व अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थी द्वारा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक पाईप (इनलेट व आउटलेट) मय नोजल, रेगुलेटर, गैस की टंकी के ढक्कन (121 ढक्कन) व डिब्बा नोजल (16 नोजल) से अवैध रिफलिंग कर अधिक दर पर लोगों को अवैध रूप से बेचान करने हुए पाये गया जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय (द्वितीय) जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक पाईप(इनलेट व आउटलेट) मय नोजल, रेगुलेटर, गैस की टंकी के ढक्कन (121 ढक्कन) व डिब्बा नोजल (16 नोजल) को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी, प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक पाईप(इनलेट व आउटलेट) मय नोजल, रेगुलेटर, गैस की टंकी के ढक्कन (121 ढक्कन) व डिब्बा नोजल (16 नोजल) का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन लाल योगी)
अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:10:09 IST
Reason: SelfAttested